भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1323
सोमवार,10फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक)
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के अवसर

1323. श्री पल्लब लोचन दासः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करकृगे किः

(क) क्या यह सही है कि सरकारी शेयरों के विनिवेश के बादसरकारी उपक्रमों में अ॰जा॰, अ॰ज॰जा॰ और अ॰पि॰व॰ के लिए नौकरीके अवसरों में गिरावट आई है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या सरकार ने अ॰जा॰ , अ॰ज॰जा॰ और अ॰पि॰व॰ के लिएरोजगार के अवसरों में गिरावट से निपटने के लिए कोई उपाय कियेहैं और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ):मौजूदा सरकारी नीति के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए नौकरी आरक्षण उपलब्ध है।सरकार रणनीतिक विनिवेश और अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से सीएसपीएस में विनिवेश की नीति का अनुसरण करती है ।अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री में सीपीएसईके प्रबंधन के नियंत्रण का हस्तांतरण शामिल नहीं है।रणनीतिक विनिवेश का तात्पर्य है कि प्रबंध नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ सीपीसी की सरकारी हिस्सेदारी के पर्याप्त हिस्सा का विनिवेश ।यह उम्मीद की जाती है कि रणनीतिक विनिवेश के तहत रणनीतिक खरीदार ,सीपीएस की व्यावसायिक क्षमता के इष्टतम विकास के लिए धन / प्रौद्योगिकी / नई प्रबंधन आदिलाएगा। विनिवेश के बाद सीपीसी का विकास, सहायक उद्योगों की वृद्धि सहित उच्च आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करने में सक्षम होगा और अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

सीपीएसई के लिए नोडल समन्वय विभाग होने के नाते सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने सीपीएसई को रोजगार में आरक्षण के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।

*****